राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

क्रमांक प.6(17)प्र.सु./अनु.–3/2021 दिनांक : 22.7.21

आदेश

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास नियम, 2020 के बिन्दु संख्या 22

जिला स्तरीय समिति का गठनः–

1. जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात–:

1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य-अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
4.	नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
5.	जिला नियोजन अधिकारी	सदस्य
6.	मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला कलक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो व्यक्ति, उनमें से एक महिला होगी।	सदस्य
7.	संबंधित जिले का पुनर्वास अधिकारी/जिला परिवीक्षा एवं सामाजिक कल्याण अधिकारी/जिला परिवीक्षा अधिकारी पदेन सदस्य–सचिव होगा जो जिला कलक्टर द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।	सदस्य– सचिव

2. नामनिर्दिष्ट सदस्य, नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि और ऐसी अतिरिक्त कालावधि, यदि कोई हो, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाए,के लिए पद धारित करेंगे।
3. किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को आयुक्त द्वारा किसी भी समय कोई कारण दिये बिना पर्यवसित किया जा सकेगा।
4. कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य उसकी पदावधि समाप्त होने पर पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने का पात्र होगा।
5. नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कोई रिक्ति किसी अन्य नामनिर्दिष्ट के नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी, जो तब तक पद धारित करेगा/करेगी जब तक कि यदि रिक्ति नहीं हुई होती तो, वह व्यक्ति जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है धारित करता/करती।
6. नामनिर्दिष्ट सदस्य बैठक में उपस्थित होने के लिए की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते तथा पुनर्वास गृह के दौरे के लिए प्रतिकरात्मक भत्ते के संदाय का ऐसी दर पर जो आयुक्त द्वारा समय–समय पर नियत की जायें, हकदार होगा।
7. जिला स्तरीय समिति के कृत्य.–

22/07/2021

Scanned with CamScanner

I. जिला स्तरीय समिति पुनर्वास गृहों के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगी।

II. जिला स्तरीय समिति की, उन पुनर्वास गृहों में, जहाँ भिखारी या निर्धन व्यक्ति रखे गये हैं, निर्बाध पहुच होगी और वह पुनर्वास गृहों के कार्यकरण की जांच करेगी, पायी गयी कमियों पर अपनी टिप्पणियां देगी, पुनर्वास गृहों के अंतःवासियों की शिकायतों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पुनर्वास अधिकारी को भेजेगी।

8. जिला स्तरीय समिति की बैठक.– जिला स्तरीय समिति की, प्रत्येक तीन मास में या जब कभी आवश्यक हो तो इससे पूर्व, कम से कम एक बार बैठक होगी जिसमें मान्यताप्राप्त सेवा संगठनों को भी आमंत्रित किया जायेगा। ऐसी बैठकों में, भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के लिए संधारित पुनर्वास गृहों की कार्यदशाओं पर, साथ ही पुनर्वास गृह के गृहवासियों की शिकायतों पर, यदि कोई हो, विचार विमर्श किया जायेगा और शिकायतों के निराकरण के लिए उपचारिक उपायों के सुझाव दिये जा सकेंगे। बैठक की कार्यवाहियों की एक प्रति पुनर्वास अधिकारी को सूचना और आवश्यक कारेवाई हेतु प्रेषित की जायेगी।

9. उक्त समिति का गठन स्थाई है।

10. उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 22/07/2021

(डॉ.सुनीता पंकज)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
7. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. समस्त,नगरनिगम/नगरपरिषद्/नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी।
9. समस्त, जिला नियोजन अधिकारी।
10. समस्त, उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

शासन उप सचिव

Scanned with CamScanner